



मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 89वीं बोर्ड बैठक  
दिनांक 03.06.2016 की कार्यवाही



आज दिनांक 03.06.2016 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 89 वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सी0एस0 नपलच्याल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानुसार सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया:-

उपरिस्थिति:-

1	श्री सी0एस0 नपलच्याल, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल,	अध्यक्ष
2	श्री आर0मीनाक्षी सुन्दरम, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण/सचिव, आवास उत्तराखण्ड शासन	उपाध्यक्ष
3	श्री रविनाथरमन, जिलाधिकारी देहरादून	सदस्य
4	श्री नितिन भदौरिया, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।	सदस्य
5	श्री वी0पी0शर्मा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग	सदस्य
6	श्री नरेन्द्र सिंह नेगी, अधीक्षण अभियंता, जल निगम, देहरादून।	सदस्य
7	श्री शरद चन्द सिंह	नामित सदस्य
8	श्री राजेश कुमार जैन	नामित सदस्य

अन्य उपरिस्थिति:-

1. श्री पी0सी0 दुम्का, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
2. श्री एच0एस0बोनाल, मुख्य लेखाधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
3. श्री अनिल त्यागी, अधीक्षण अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
4. श्री एस0सी0जैन, अधिशासी अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,



सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा गैर सरकारी सदस्यों का परिचय बोर्ड बैठक को दिया गया। इसके पश्चात् पूर्व में प्राप्त अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा प्राधिकरण की 88 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या पढ़ी गयी। प्राधिकरण की 88 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं एजेण्डा बिन्दु को पढ़ने हेतु अनुमति प्रदान की गयी:-

विषय क्रमांक 1 :- वित्तीय वर्ष 2015-16 के वास्तविक आय-व्यय का अनुमोदन एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय का अनुमानित प्रस्ताव

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त बजट को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 2:- विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों /अधिकारियों की भौति उत्तराखण्ड शासन के आवास विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवंटित सम्पत्ति पर 10 % छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त इस बिन्दु पर सहमति बनी कि बोर्ड सदस्यों को सम्मिलित करते हुए प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

विषय क्रमांक 3:- प्राधिकरण के लिए 01 वाहन क्रय करने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक 4:- पत्रावली संख्या सी-0009/15-16 श्रीमती सोनम शर्मा पत्नी श्री अभिषेक शर्मा द्वारा खसरा नम्बर 1796 व 845 मौजा किदूवाला रायपुर देहरादून पर पेट्रोल फिलिंग स्टेशन निर्माण की स्वीकृति के संबंध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।



विषय क्रमांक 5:- प्राधिकरण बोर्ड की प्रत्याशा में स्वीकृत किये गये सूचीबद्ध टावरों को बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत प्रकरण ।

सम्यक् विचारोपरानत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

विषय क्रमांक 6 :-पत्रावली संख्या सी-0259/15-16 श्री संजय बंसल पुत्र श्री एच0पी0बंसल तथा श्रीमती सीमा बंसल पत्नी श्री संजय बंसल द्वारा खसरा नम्बर 431,432,433,434,435 व 436 मौजा माजरा हरिद्वार बाईपास रोड पर होटल/हॉस्टल मानचित्र की स्वीकृति के संबंध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 7- प्राथमिक विद्यालय भवन की स्वीकृति हेतु उपविधि में प्राविधानित अध्याय-2 के बिन्दु संख्या-2.44 में उल्लिखित भूखण्ड क्षेत्रफल हेतु 1:3:5 अनुपालन की छूट के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 8- वाद पत्रावली सं0 सी0-0469/एस-6/2015 श्री अमित जैन भूमि खसरा 16 ए. नया नं0 33 ई0सी0रोड,देहरादून में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 के पेट्रोल पम्प का मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 9 - वाद पत्रावली सं0 सी0-15/एस-4/2009 श्री संजय कुमार गुप्ता 15/1. दिलाराम बाजार,देहरादून के व्यवसायिक निर्माण(दुकान) के मानको में छुट प्रदान कर वाद शमन किये जाने के सम्बन्ध में ।

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।



विषय क्रमांक 10— प्राधिकरण की **River Front Development** परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु सिचाई विभाग के अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्ति पर रखने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 11— श्री सतनाम सिंह घई को घण्टाघर स्थित एम0डी0डी0ए0 काम्प्लैक्स में निर्माण लागत पर आंवटित दुकान संख्या **STR-3GF** क्षेत्रफल 9.57 वर्गमीटर की निर्माण लागत रू0 5,57,194.00 को कम किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विषय क्रमांक 12:— दिनांक 13.1.16 को परिचालन के माध्यम से स्वीकृत मानचित्र संख्या सी-0051/15-16 आर ई-1, श्रीमती ऋतु सिंगल द्वारा खसरा नम्बर 374/24 मौजा काँवली देहरादून पर पेट्रोल पम्प के मानचित्र को बोर्ड के संज्ञानार्थ/अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 13— जनपद देहरादून के परगना सेन्ट्रल दून के मौजा-मेन रायपुर रोड अधोईवाला के खसरा नं0 48 एवं 137 रकबा 591.13 वर्गमीटर पर पेट्रोल पम्प की स्थापना के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि बोर्ड की सहमति सहित प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

विषय क्रमांक 14:— मजिस्ट्रेट कार्यालय से प्राप्त प्रिंटिंग प्रेस के 02 प्रकरणों में अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात स्वीकृत मानचित्र/प्राधिकरण गठन से पूर्व निर्मित भवन पर प्रस्तावानुसार प्रिंटिंग प्रेस का अनापत्ति मानचित्र स्वीकृति/शमन के प्रतिबन्ध के साथ दिये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।



विषय क्रमांक 15:- मानचित्र संख्या सी-0020/16-17 के अन्तर्गत खसरा नं० 1033मिन, झाझरा चकराता रोड देहरादून पर श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा रेस्टोरेंट के निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 16:- **ISBT** के निकट **HIG** आवासीय योजना हेतु हडको से सैद्धान्तिक अनुमोदन के सापेक्ष रु० 72.00 करोड़ का ऋण लिये जाने तथा ऋण अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, प्राधिकरण को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 17 :- माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में घण्टाघर स्थित श्री एच०एन०बी० बहुगुणा काम्पलैक्स में आर्ट गैलरी के निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 18 :- वाद पत्रावली संख्या सी०-००३५/एस-४/२०१६ श्री नीरज कुमार गोयल पुत्र श्री मोहन लाल एवम श्री प्रशान्त गुप्ता पुत्र स्व० अनिल कुमार द्वारा भूमि खसरा नं० १२६(ख) मौजा लाडपुर रायपुर रोड, में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० के पेट्रोल पम्प का मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण पर अपर जिलाधिकारी, प्रशासन एवं सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त निरीक्षण प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक 19 :- प्राधिकरण में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किये जाने हेतु जे०सी०बी० डोजर एवं मिनी बस क्रय किये जाने विषयक।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि जे०सी०बी० कटर क्रय कर लिया जाये।

☆ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण



अनुपूरक:-

उपरोक्त एजेण्डा बिन्दुओ के अतिरिक्त बैठक में अनुपूरक एजेण्डा भी सम्मिलित किया गया जिसके अनुसार:-

अनुपूरक विषय क्रमांक 1 :- जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में ।

जोनल डेवलपमेंट प्लान पर चर्चा हेतु एक सप्ताह पश्चात् पुनः बैठक किये जाने का निर्णय लिया गया ।

अनुपूरक विषय क्रमांक 2:- मसूरी देहरादून विकास क्षेत्रान्तर्गत 17 ग्रामों के भौतिक सर्वेक्षण उपरान्त आधार मानचित्र (Base Map) तैयार कराने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के पश्चात् 10 गाँवों के ड्राफ्ट मास्टर प्लान की स्वीकृति हेतु आपत्तियों/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। शेष गाँवों का मास्टर प्लान नगर एवं नगर नियोजन विभाग को तैयार कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

अनुपूरक विषय क्रमांक 3 :- मौजा ग्राम-बद्रीपुर परगना-परवादून देहरादून पर श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री बारू सिंह द्वारा प्रस्तुत बारातघर के निर्माण हेतु मानचित्र संख्या सी-0070/15-16 आर ई-1 के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात् निर्णय लिया गया कि मानचित्र का तकनीकी परीक्षण कर सभी मानकों के पूर्ण होने पर ही मानचित्र स्वीकृत किया जाये ।

अन्य बिन्दु:-

मसूरी एवं देहरादून क्षेत्रान्तर्गत पुराने ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण कर लिया जाये जहाँ पुराने भवन खतरनाक स्थिति में पहुँच चुके हैं। ऐसे भवनों को मसूरी के लण्डौर बाजार की भाँति निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाये ।

ऐसे आवासीय निर्माण जिनके मानचित्र स्वीकृत नहीं है उनके सम्बन्ध में एक सरल समाधान योजना के तहत एक निर्धारित अवधि में शमन हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाये ।

उपाध्यक्ष,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून ।

आयुक्त,  
गढ़वाल मण्डल/  
अध्यक्ष

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।